भारत सरकार

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

उर्वरक विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या **467**

जिसका उत्तर शुक्रवार, 9 दिसम्बर, 2022/18 अग्रहायण, 1944 (शक) को दिया जाना है।

सब्सिडी वाले उर्वरकों का विपणन

467. श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे:
श्री कुलदीप राय शर्मा:
डॉ. सुभाष रामराव भामरे:
डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे:
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले:
डॉ. डी.एन.वी.सेंथिलकुमार एस.:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने किसानों के लिए कोई नई योजना शुरू की है, जिसके अनुसार कंपनियों को सिंगल ब्रांड 'भारत' के तहत सभी सब्सिडी वाले उर्वरकों का विपणन अनिवार्य है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस तरह की पहल के पीछे के लक्ष्य और उदेद्श्य क्या हैं;

(ग) ऐसी योजना को लागू करते समय सरकार को किन-किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है;

(घ) क्या नई योजना से किसानों को सस्ती दर पर तथा अनुपलब्धता समस्या से ग्रसित गुणवत्ता वाले उर्वरकों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड.) क्या सरकार ने नई योजना शुरू करने से पहले उर्वरक कंपनियों सहित सभी हितधारकों से परामर्श किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा किसानों में उर्वरकों के संतुलित उपयोग के लिए जागरूकता पैदा करने हेतु अन्य कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री

(भगवंत खुबा)

(क) और (ख): भारत सरकार ने दिनांक 24 अगस्त, 2022 की अधिसूचना के जरिये उर्वरक राजसहायता स्कीम नामत: ''प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना'' (पीएमबीजेपी) के तहत उर्वरक हेतु सिंगल ब्रांड और लोगो की शुरूआत करके एक राष्ट्र एक उर्वरक को लागू करने का निर्णय लिया है। इस योजना का उद्देश्य उर्वरकों की उपलब्धता बास्केट में वृद्धि, बाज़ार में उपलब्ध कई ब्रांड में से चुनने की किसानों की दुविधा को कम करना, क्रिस-क्रॉस संचलन कम करना और आगे उर्वरकों की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करना है।

(ग): इस योजना को कार्यान्वित करने में किसी विशेष चुनौती का सामना नहीं करना पड़ा।

(ड.): जी हां, उर्वरक विभाग ने योजना को शुरू करने से पहले उर्वरक कंपनियों सहित हितधारकों से परामर्श किया था।

(च): सरकार किसानों की मिट्टी के मृदा पोषकतत्व की स्थिति की जांच करने और संबंधित राज्य कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा विकसित सामान्य उर्वरक सिफारिशों के अनुसार किसानों को मृदा परीक्षण आधारित संतुलित उर्वरक उपयोग की सिफारिश करने के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी) स्कीम का कार्यान्वयन कर रही है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को उनकी मिट्टी के मृदा पोषकतत्व की स्थिति की जानकारी और मृदा स्वास्थ्य एवं इसकी उर्वरता में सुधार करने हेतु अनुप्रयोग किए जाने वाले पोषकतत्वों की उचित खुराक की सिफारिश प्रदान करता है। वर्ष 2015-17 और 2017-19 के दौरान, किसानों को क्रमश: 10.74 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड तथा 12 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए थे।

इसके अतिरिक्त, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता को बनाए रखने के लिए पौधों के पोषक तत्वों के इन-आर्गेनिक और आर्गेनिक दोनों स्रोतों (खाद, जैव उर्वरक आदि) के मिले-जुले उपयोग के माध्यम से मृदा परीक्षण आधारित संतुलित और एकीकृत पोषकतत्व प्रबंधन को बढ़ावा देता है। इसके अलावा, फलीदार फसलों को उगाने और संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकियों (आरसीटी) के उपयोग को भी बढ़ावा दिया जाता है। आईसीएआर आवश्यकता पड़ने पर इन सभी पहलुओं पर किसानों को शिक्षित करने हेतु प्रशिक्षण भी प्रदान करता है।

24 अगस्त, 2022 की अधिसूचना के जरिये भी ग्राम, खण्ड/उप जिला/तालुका और जिला स्तर पर विद्यमान उर्वरक खुदरा दुकानों को मॉडल उर्वरक खुदरा दुकानों, नामत: प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केन्द्र **(पीएमकेएसके)** में बदलने का निर्णय लिया है। ये पीएमकेएसके बीज, उर्वरकों, कीटनाशकों आदि जैसे कई उत्पादों के लिए किसानों हेतु वन-स्टॉप-शॉप के रूप में कार्य करते हैं और एक एकल छत के नीचे कृषि क्षेत्र से संबंधित कई सेवाओं जैसे उर्वरक/बीज/मृदा परीक्षण, ड्रोन और अन्य कृषि उपकरणों का लाभ भी उठाया जा सकता है। प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केन्द्र (पीएमकेएसके) पर, उर्वरकों के संतुलित प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए खुदरा विक्रेताओं को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु एमवीके से कृषि वैज्ञानिकों/विषय वस्तु विशेषज्ञ/सेवानिवृत्त कृषि विशेषज्ञों की सेवाएं ली जा रही हैं।

******